भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *268

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

जीएसटी को युक्तिसंगत बनाए जाने का ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर प्रभाव

*268. श्री आशीष दुबे:

श्री मितेश पटेल बकाभाई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जीएसटी को युक्तिसंगत बनाए जाने से दोपहिया वाहनों, यात्री वाहनों, ट्रैक्टरों, बसों और वाणिज्यिक माल वाहनों की वहनीयता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वाहनों की मांग, वाहन बेड़े के नवीकरण और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार पर संशोधित जीएसटी ढांचे का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त परिवर्तनों के संभार तंत्र दक्षता, मालभाड़ा दरों और परिवहन प्रचालन लागत पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई विश्लेषण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"जीएसटी को युक्तिसंगत बनाए जाने का ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर प्रभाव" के संबंध में श्री आशीष दुबे और श्री मितेश पटेल बकाभाई द्वारा पूछे गए दिनांक 18.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *268 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) नई जीएसटी दरें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी हुईं हैं। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर, 2025 में पंजीकृत वाहनों (तेलंगाना राज्य को छोड़कर) की कुल संख्या में पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 29.1% की वृद्धि हुई है।

(ग) से (ड.) सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले 3 माह के बिक्री पैटर्न के आधार पर वाहन की मांग बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जीएसटी में कटौती से वाहनों की ऑन-रोड कीमत कम हुई है, वाहनों के वित्तपोषण (फाइनेंस) की लागत और लगाए गए सड़क कर घटे हैं, जिससे पहली बार वाहन खरीदने वाले और ग्रामीण खरीदार प्रोत्साहित हो रहे हैं, जो मूल्य के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

वाणिज्यिक वाहन सेग्मेंट को भी जीएसटी दरों में 28% से 18% की कमी से काफी लाभ हुआ है। नई बसों और ट्रकों की बढ़ती बिक्री के अलावा, इसे युक्तिसंगत करने से वाहन को बदलने की मांग के बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बेड़े (फ्लीट) के नवीनीकरण में तेजी आएगी।

सरकार ने स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वीवीएमपी) के माध्यम से वाहन बदलने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए पहले ही एक नीतिगत रूपरेखा प्रदान की है, जिसमें राज्य सड़क कर रियायतें, पंजीकरण शुल्क की छूट और पुराने वाहनों के स्क्रैपेज के एवज में नए वाहनों की खरीद के लिए ऑटोमोबाइल निर्माता द्वारा प्रोत्साहन शामिल हैं। कम जीएसटी दरों से प्राप्त अतिरिक्त प्रोत्साहन, परिवहन संचालकों (ऑपरेटरों) के लिए व्यावसायिक रूप से फ्लीट आधुनिकीकरण करने का मामला और मजबूत हुआ है।

फ्लीट के नवीनीकरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार और सुधार, गतिशीलता (मोबिलिटी) में वृद्धि, लॉजिस्टिक दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

वाहनों की अधिक उपलब्धता और वहनीयता से प्रेरित माल की बढ़ती आवाजाही से लॉजिस्टिक्स दक्षता और बढ़ेगी तथा माल ढुलाई की दरों को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे समग्र परिवहन लागत कम होगी।

*****